संख्या-9/2021/4564/96-आयुष-1-2020-195/2019

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
यूनानी सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 14 जनवरी, 2021**

विषय- राजकीय यूनानी चिकित्सालय, मेण्डारा, प्रयागराज के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2505/यू0नि0/1297-योजना/2020-21; दिनांक 10.12.2020 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय यूनानी चिकित्सालय, मेण्डारा, प्रयागराज के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु मूल्यांकित धनराशि रू0-14.57 लाख (रूपया चौदह लाख सन्तावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-33 के अंतर्गत प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-7.285 लाख (रूपया सात लाख अट्ठाईस हजार पॉच सौ मात्र) अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- एकमुश्त व्यवस्था के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
2- निदेशक, यूनानी सेवायें एवं संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 तथा शासनादेश दिनांक 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 29.09.2020 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3- निदेशक, यूनानी सेवायें एवं संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
4- निदेशक, यूनानी सेवायें एवं संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, यूनानी सेवायें, संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था की होगी।
5- निदेशक, यूनानी सेवायें एवं संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
6- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, यूनानी सेवायें एवं संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी का होगा।
7- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
8- निदेशक, यूनानी सेवायें एवं संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
9- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
10- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

12- कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।

13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 07.04.2020 के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व निदेशक, यूनानी सेवायें एवं वित्त नियंत्रक, यूनानी निदेशालय तथा संबंधित अधिकारियों का होगा।

14- प्रथम किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ गुणवत्ता रिपोर्ट एवं निदेशक/ संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट के पश्चात ही द्वितीय किश्त निर्गत की जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 110-अस्पताल तथा औषधालय, 05-राजकीय यूनानी चिकित्सालय, 01-अनावासीय भवनों का निर्माण (चालू कार्य) के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-9/2021/4564(1)/96-आयुष-1-20, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
(4) वित्त नियंत्रक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, प्रयागराज।
(6) संबंधित कार्यदायी संस्था (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।
(7) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in